

## प्रेस नोट:-

### कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक-13.04.2019

#### यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 12 वाहनों से मु0-11700 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

#### शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 12 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

#### 04 वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

#### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 12.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल-05 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 70 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है

#### थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

02. तुलसी राम पुत्र माधवराम नि0 मोहम्मदपुर गढ़वार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **10 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-158/19 , धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. उमेश राजभर पुत्र मंगल राजभर नि0 कोहर गढ़वा मौजा लक्ष्मनपुर लाल नगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से **10 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-151/19 , धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विफई पुत्र संतराम नि0 चोंदपुर वरसैनिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **10 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-163/19, 02. देवतादीन पुत्र जगदम्बा नि0 भरहू भट्टा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-164/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ननके गुप्ता पुत्र बुधई नि0 चर्तुभुजवा महादेवकला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **10 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-81/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### विवेचनाओं का निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-14 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

## थाना छपिया पुलिस द्वारा अवैध असलहे के साथ हिस्ट्रीशीटर अपराधी को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अतीक पुत्र स्व० अशफ़ी नि० ग्राम मल्हीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-106/19 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास—

01. मु०अ०सं० 05/93 धारा 3/5/8 गोबध अधिनियम थाना सा० नगर जनपद बलरामपुर
02. मु०अ०सं० 20/08 धारा 395.397.412 भादवि थाना सा० नगर जनपद बलरामपुर
03. मु०अ०सं० 21/08 धारा 399.402.307 भादवि थाना सा० नगर जनपद बलरामपुर
04. मु०अ०सं० 220/10 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर ऐक्ट थाना छपिया
05. मु०अ०सं० 209/08 धारा 455.380.411 भादवि थाना सा० नगर जनपद बलरामपुर
06. मु०अ०सं० 75/11 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना छपिया गोण्डा
07. मु०अ०सं० 175/13 धारा 401 भादवि व 4/25 आर्म्स ऐक्ट थाना छपिया गोण्डा
08. मु०अ०सं० 284/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना छपिया गोण्डा
09. मु०अ०सं० 174/17 धारा 3/5/8 गोबध अधिनियम थाना छपिया गोण्डा

### संक्षिप्त विवरण—

आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर०पी०सिंह द्वारा जनपद मे अवैध रूप से शस्त्र रखने व निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के लिये समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व स्वाट टीम को सख्त निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में थाना छपिया पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक छपिया श्याम बहादुर सिंह के नतृत्व में उ०नि० कामेश्वर राय मय हमराह फोर्स के साथ पायरखास के पास से उक्त शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 अदद कट्टा नाजायज 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया पर मु०अ०सं० 106/19 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० कामेश्वर राय।
02. का० शिव कुमार नायक।
03. का० चेतन पाण्डेय।
04. का० जागेश्वर गौड।